क.

अजंता एलएलपी

वी.

कैसियो कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसियो कंप्यूटर कं. लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 1052)

फरवरी 04,2022

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एसएस।152 और 153 आर/डब्ल्यू।s.151-निर्णय के सुधार/सुधार/संशोधन के लिए दायर आवेदन-प्रतिवादी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर 'CASIO FX991ES प्लस' के लिए एक डिजाइन पंजीकरण के लिए आवेदन किया-अपीलार्थी द्वारा 'ORPAT FX-991ES प्लस' के नाम से वैज्ञानिक कैलकुलेटर की बिक्री के बारे में जानकारी होने पर, प्रतिवादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें अपीलार्थी को आक्षेपित उत्पाद 'ORPAT FX-991ES प्लस' का उपयोग करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोक दिया गया-उच्च न्यायालय ने रोक का एक-पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया-इसके बाद, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया-समझौता हुआ-तदनुसार, मुकदमा 03.07.2019 के संदर्भ में घोषित किया गया152 और 153 आर/डब्ल्यू।दिनांक 03.07.2019 के निर्णय में सुधार/सुधार/संशोधन के लिए सी. पी. सी. की धारा 151-अपीलार्थी ने उक्त आवेदन में कहा कि निपटान समझौता केवल ट्रेडमार्क "एफ. एक्स.-991 ई. एस. प्लस"/"एफ. एक्स.-991" से संबंधित है-हालाँकि, निपटान समझौते में ट्रेडमार्क की अनजाने में "एफ. एक्स.-991 ई. एस. प्लस/एफ. एक्स./991" के रूप में टंकण संबंधी त्रुटि थी-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज आवेदन-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःन्यायालय यू/एस आवेदन पर विचार कर सकता है।151 सहमति डिक्री के परिवर्तन/संशोधन के लिए सी. पी. सी. का आदेश यदि उसे धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलतफहमी से दूषित किया जाता है-तत्काल मामले में, पक्षों के बीच पत्राचार की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि निपटान समझौता विस्तृत परामर्श और विचार-विमर्श के बाद किया गया था-अंतिम निपटान समझौते को मध्यस्थ द्वारा अनुमोदित किया गया था-उच्च न्यायालय ने अपना दिमाग लगाया और समझौते के संदर्भ में एक डिक्री पारित की-प्रतिवादी की ओर से धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व का कोई आरोप नहीं है-अपीलकर्ता से सहमत होने में असमर्थ है कि एक था

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अजंता एलएलपी बनाम कैसिओ कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसिओ कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड।

गलतफहमी के कारण समाधान समझौते में प्रवेश करते समय की गई गलती-उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना:**1.** एक सहमति डिक्री एक अवरोध के रूप में काम नहीं करेगी, जहां समझौता धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलती से दूषित हो गया था।न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सहमति आदेश में सुधार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लिपिक या अंकगणितीय त्रुटियों से मुक्त है ताकि इसे समझौते की शर्तों के अनुरूप लाया जा सके।निस्संदेह, न्यायालय सी. पी. सी. की धारा **151** के तहत सहमति डिक्री के परिवर्तन/संशोधन के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलतफहमी से दूषित है।पक्षकारों के बीच अपीलार्थी द्वारा व्यक्त की गई गलतफहमी निपटान समझौते में अलग-अलग चिह्नों के रूप में "एफएक्स" या **"991"** के उपयोग से संबंधित है।दोनों पक्षों के बीच समझ समग्र रूप से "एफएक्स-**991** ईएस प्लस" के संबंध में थी न कि "एफएक्स" के संदर्भ में।पक्षों के बीच पत्राचार की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि विस्तृत परामर्श और विचार-विमर्श के बाद समझौता किया गया था।इसके बाद, दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें एक समझौते पर पहुंचने में छह महीने का समय लगा।अंतिम निपटान समझौते को मध्यस्थ द्वारा अनुमोदित किया गया था।उच्च न्यायालय ने अपने दिमाग को लागू किया और दिनांक **16.05.2019** के निपटान समझौते के संदर्भ में एक डिक्री पारित की।हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि यह सी. पी. सी. की धारा **152** के तहत दायर किया गया था, इस अदालत ने यह जांचने के लिए पक्षों की दलीलों पर विचार किया है कि क्या अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा **151** के साथ पठित आदेश **23** नियम **3** के परंतुक के तहत आवेदन को एक मानते हुए डिक्री में संशोधन के लिए मामला बनाया है। प्रत्यर्थी की ओर से धोखाधड़ी या गलत निरूपण का कोई आरोप नहीं है।यह न्यायालय अपीलार्थी से सहमत होने में असमर्थ है कि गलतफहमी के कारण समझौता करते समय गलती हुई थी।कानून के विशेषज्ञ पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच पत्राचार से पता चलेगा कि कोई अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी नहीं है जो किसी भी गलतफहमी को जन्म देती है।यह मानते हुए भी कि कोई गलती है, एक सहमति डिक्री को संशोधित/बदला नहीं जा सकता है जब तक कि गलती एक पेटेंट या स्पष्ट न हो।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

गलती हुई।अन्यथा, सहमति डिक्री के किसी पक्ष द्वारा गलती/गलतफहमी के आधार पर प्रत्येक सहमति डिक्री को बदलने की मांग की जाने का खतरा है।**[**पैरा **13] [320-**एफ-जी**; 321-**ए-ई**]**

शंकर सीताराम सोनटक्के और अन्न बनामबालकृष्ण सीताराम

सोनटक्के और ओआरएस। आकाशवाणी 1954 एससी 352:[1955] एससीआर 99;

बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य।

(1992) 1 एससीसी 31:[1991] 1 पूरक।एससीआर 187; बनवारी

लाल बनाम चंदो देवी (श्रीमती) (एल. आर. के माध्यम से) और अन्र। (1993)

1 एससीसी 581:[1992] 3 पूरक।एससीआर 524; कॉम्पैक

एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनामबेअंत सिंह (2021) 3 एससीसी 702; सौरेंद्र नाथ मित्रा और अन्य बनामश्रीमती तरुबाला

ग

दासी एयर **1930** पी**.** सी**. 158-**संदर्भित।

सौरेंद्र नाथ मित्रा और अन्य बनामश्रीमती तरुबाला दासी

ए**.** आई**.** आर**. 1930** पी**.** सी**. 158-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

[1955] एससीआर **99**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1991] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 187** पैरा **12 [1992] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **11** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 524**

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1052।

सी. एस. में 2019 की आई. ए. संख्या 11370 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.11.2019 के निर्णय और आदेश से। [कॉम।]2018 का सं. 1254।

च

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. सुंदर रामनाथन, विवेक पांडे, नवनीत, सुश्री हर्षप्रीता, वेंकटरमन, अरविंद राज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, चंदर लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मनीष शर्मा, सुश्री नैन्सी रॉय, करण बजाज, सुश्री ज्योतिदीप कौर, सुश्री प्रकृति वार्ष्णेय, सुश्री पायल कल्हन, सुश्री अनन्या चुग, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

311

अजंता एलएलपी बनाम कैसिओ कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसिओ कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति**,** एल**.** नागेश्वर राव

अनुमति प्रदान की गई।

1. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक आई. डी. 1 के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) की धारा 151 के साथ पठित धारा 152 और 153 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक आई. डी. 2 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

2. प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित राहतों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर कियाः

ग

“ए. प्रतिवादियों, उनके निदेशकों, एजेंटों, विक्रेताओं, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं, फ्रेंचाइजी, प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, सहयोगियों और नियुक्तियों को निर्माण, आयात, विपणन, विज्ञापन, प्रचार, बिक्री की पेशकश, बिक्री, निर्यात और/या विवादित उत्पाद ओ. आर. पी. ए. टी. एफ. एक्स.-991 ई. एस. प्लस का उपयोग करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें वादी का पंजीकृत डिज़ाइन नंबर 214283 और 214282 दिनांक 16/01/2008 वर्ग 18-01 में अपने वैज्ञानिक कैलकुलेटर के लिए स्वयं या किसी अन्य डिज़ाइन (ओं) के साथ संयोजन में होता है। और/या विवादित डिजाइन या किसी अन्य डिजाइन वाली अन्य वस्तुएँ/वस्तुएँ/उत्पाद जो वादी के पंजीकृत डिजाइनों के समान हैं या उनकी धोखाधड़ी से नकल हैं, ताकि वादी के पंजीकृत डिजाइन संख्या 21483 और 214282 की चोरी की जा सके।

डी.

ई.

बी. प्रतिवादी, उनके निदेशक, एजेंट, विक्रेता, खुदरा विक्रेता, वितरक, आपूर्तिकर्ता, फ्रेंचाइजी, प्रतिनिधि, कर्मचारी, सहयोगी और असाइन को अनिवार्य निषेधाज्ञा के डिक्री द्वारा निर्देशित किया जाता है जिसमें निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्वयं के खर्च परःआई. सभी आक्षेपित उत्पादों और/या किसी भी विपणन, प्रचार और विज्ञापन सामग्री को याद करें जो आक्षेपित डिजाइन या किसी अन्य वस्तु/सामान/उत्पाद को धारण करती है या शामिल करती है जो एक ऐसी डिजाइन धारण करती है जो एक धोखाधड़ी है या वादी के पंजीकृत डिजाइन की नकल है, जिसे ऑनलाइन खुदरा/ई-कॉमर्स वेबसाइटों सहित बाजार में निर्मित और/या बेचा, वितरित, प्रदर्शित या विज्ञापित या प्रचारित किया गया है।

च

जी.

एच.

क.

ii.विवादित उत्पादों और/या किसी भी विपणन, प्रचार और विज्ञापन सामग्री सहित सभी सामग्रियों को नष्ट करने के लिए वादी को वितरित करें जो विवादित डिजाइन या किसी अन्य वस्तु/सामान/उत्पाद को धारण करती हैं या शामिल करती हैं जो एक ऐसी डिजाइन धारण करती हैं जो धोखाधड़ी या वादी के पंजीकृत डिजाइन की नकल है।

iii.विवादित डिजाइन और/या किसी अन्य डिजाइन के लिए वादी को किसी भी डिजाइन आवेदन या पंजीकरण का पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण करें जो वादी के पंजीकृत डिजाइनों की धोखाधड़ी या नकल है, और ऐसे आवेदनों को वापस लें और/या वादी को सूचित करते हुए ऐसे पंजीकरणों को सौंप दें।

ग

iv.विवादित उत्पादों के निर्माण, विपणन, वितरण और बिक्री में शामिल पक्ष (ओं) के नाम और पते जैसे पूर्ण विवरणों का वादी को पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करें।

डी.

ग. प्रतिवादी से उनके द्वारा किए गए लाभ की राशि और/या प्रतिवादियों की अपमानजनक गतिविधियों के कारण वादी को हुए अनुकरणीय और दंडात्मक नुकसान सहित नुकसान का पता लगाने में सहायता के लिए अपने खातों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कहा जाए और वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ देय राशि के लिए एक डिक्री पारित की जाए।

ई.

घ. वाद की लागत वादी को दी जाए; और

ई. कोई भी अन्य राहत जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझता है, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ दी जाती है।"

च

3. वादी के अनुसार, प्रतिवादी ने अपने वैज्ञानिक/इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर 'ओआरपीएटी एफएक्स-991 ईएस प्लस' के लिए मूल डिजाइन, आकार और विन्यास के प्रत्येक नए तत्व को उठाया।प्रत्यर्थी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर 'CASIO FX-991ES प्लस' के लिए एक डिजाइन पंजीकरण के लिए आवेदन किया और इसे अक्टूबर, 2011 में भारत में पेश किया गया था।अपीलार्थी द्वारा 'ओ. आर. पी. ए. टी. एफ. एक्स.-991 ई. एस. प्लस' के नाम से वैज्ञानिक गणकयंत्र की बिक्री के बारे में जानकारी होने पर, प्रत्यर्थी ने ऊपर उल्लिखित राहतों के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया।द हाई ए

जी.

एच.

313

अजंता एलएलपी बनाम कैसिओ कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसिओ कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड। ए.

दिल्ली की अदालत ने 28.11.2018 पर रोक लगाने का एक एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया।इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18.12.2018 पर पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया।पक्षों की ओर से पेश वकील के बीच एक विस्तृत पत्राचार और ई-मेल के आदान-प्रदान के बाद, एक निपटान समझौते दिनांक 16.05.2019 के माध्यम से एक समझौता किया गया था।उच्च न्यायालय ने निपटान समझौते के संदर्भ में 03.07.2019 पर मुकदमे का फैसला सुनाया।तत्पश्चात, अपीलार्थी द्वारा दिनांकित निर्णय के सुधार/सुधार/संशोधन के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित धारा 152 और 153 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।अपीलार्थी ने उक्त आवेदन में कहा कि निपटान समझौता केवल ट्रेडमार्क "एफएक्स-991 ईएस प्लस"/"एफएक्स-991" से संबंधित है।हालांकि, निपटान समझौते में ट्रेडमार्क की अनजाने में "एफएक्स-991 ईएस प्लस/एफएक्स/991" के रूप में मुद्रण संबंधी त्रुटि थी।जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया।अतः यह अपील।

ग

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री चंदर लाल को सुना है।अपीलार्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने आवेदन को केवल सी. पी. सी. की धारा 152 के तहत दायर किए जाने पर विचार करके उसे खारिज करने में त्रुटि की। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 का उल्लेख करके आवेदन पर विचार करना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच गलतफहमी एक सहमति डिक्री में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध आधार है

डी.

ई.

शंकर सीताराम सोनटक्के और अन्न बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय।बालकृष्ण सीताराम सोनटक्के और अन्य। 1 और बायराम पेस्टनजी गरीवाला

v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। **2.**विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के पास एक सहमति पुरस्कार की शर्तों को सही करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है ताकि इसे कॉम्पैक एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम कॉम्पैक एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके इच्छित समझौते के अनुरूप लाया जा सके।बेअंत सिंह **3.**उन्होंने निर्णय पर भी भरोसा किया

च

प्रिवी काउंसिल**,** सौरेन्द्र नाथ मित्र और अन्य बनामश्रीमती तरुबाला

4. यह तर्क देना कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग इसकी कार्यवाही को पर्याप्त अन्याय को जन्म नहीं देने के लिए किया जाना चाहिए।श्री विश्वनाथन ने अधिवक्ताओं के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल का उल्लेख किया

जी.

1 AIR 1954 SC 352 2 (1992) 1 SCC 31 3 (2021) 3 SCC 702 4 AIR 1930 PC 158

एच.

पक्षकारों की ओर से और प्रस्तुत किया गया कि सभी पक्षों का इरादा केवल वैज्ञानिक गणक 'एफएक्स-991 ईएस प्लस' के उपयोग से संबंधित है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि पत्राचार से यह स्पष्ट होगा कि 'एफएक्स' और '991' को एक '-' (हाइफन) द्वारा अलग किया गया था और पहली बार निपटान समझौते के अंतिम संस्करण में एक '/' (स्लैश) पेश किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार 'एफएक्स' एक सामान्य सामान्य नाम है जिसका उपयोग 'के कार्य' को दर्शाने के लिए किया जाता है और यह स्वतंत्र रूप से ट्रेडमार्क होने में सक्षम नहीं है।अपीलार्थी को गलती का एहसास तब हुआ जब प्रत्यर्थी द्वारा 26.07.2019 पर एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी निपटान समझौते के अनुसार "FX" या "991" का उपयोग नहीं करने के लिए सहमत हुआ था, जिसके बावजूद अपीलार्थी निपटान समझौते का उल्लंघन करते हुए "FX" का उपयोग कर रहा था।

ग

5. प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि निपटान समझौते पर पहुंचने में धोखाधड़ी या गलत निरूपण का कोई आरोप नहीं है और उच्च न्यायालय ने डिक्री में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने में सही था।प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि अधिवक्ता मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।कई मध्यस्थता सत्र आयोजित किए गए और पक्षों की ओर से पेश अधिवक्ताओं के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान किया गया, जिसके बाद पक्षों के बीच एक समझौता किया गया।अंतिम समझौते की जांच की गई और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए गए और अंत में, न्यायालय ने समझौते की शर्तों की जांच की जिसके संदर्भ में एक डिक्री पारित की गई थी।निपटान समझौते पर अपना दिमाग लगाने के बाद, उच्च न्यायालय ने समझौते के संदर्भ में एक आदेश पारित किया।पक्षकारों के अधिवक्ताओं के बीच पत्राचार का अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि प्रत्यर्थी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपीलार्थी को "एफएक्स-991 ईएस प्लस"/"एफएक्स-991 ईएस" या किसी भी भ्रामक या भ्रमित करने वाले समान चिह्न का उपयोग नहीं करना चाहिए।अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए, डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि सहमति आदेश पक्षों के खिलाफ निर्णय द्वारा अवरोध पैदा करते हैं और इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि आदेश धोखाधड़ी, गलत निरूपण या पेटेंट या स्पष्ट गलती से दूषित न हो जाए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वर्ष 1985 से वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के लिए ट्रेडमार्क 'एफएक्स' को अपनाया है। उत्तरदाता संख्या 1 ने कक्षा-9 में No.5010491 वाले चिह्न "FX" के लिए एक डिज़ाइन

पंजीकरण प्राप्त किया और 29.01.1999 के बाद से उपयोग का दावा किया।श्री विश्वनाथन की दलीलों का विरोध करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि "एफएक्स" का उपयोग अन्य निर्माताओं द्वारा किया जाता है, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने वैज्ञानिक ए के तीसरे पक्ष निर्माताओं की सूची पर भरोसा किया।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

315

अजंता एलएलपी बनाम कैसियो कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसियो कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड [एल. नागेश्वर राव, जे.] ए.

गणक जिन्होंने अपने व्यापार चिह्न "एफएक्स" का उपयोग किए बिना अपने वैज्ञानिक गणक के लिए अपने संबंधित अंकों को अपनाया है।

6. इस तर्क की बेहतर समझ के लिए कि समझौता समझौते में प्रवेश करते समय पक्षों के बीच गलतफहमी थी, पक्षकारों के अधिवक्ताओं के बीच पत्राचार का उल्लेख करना आवश्यक है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।07.02.2019 पर, प्रत्यर्थी के वकील ने अपीलार्थी के वकील को प्रस्तावित शर्तों के बारे में सूचित किया।उक्त ई-मेल में कहा गया था कि अपीलकर्ता "एफएक्स-991 ईएस प्लस"/"एफएक्स-991 ईएस" या किसी अन्य समान चिह्न के साथ-साथ विवादित डिजाइन या किसी अन्य समान डिजाइन का उपयोग करना बंद कर देगा।जवाब में, उसी दिन अपीलार्थी द्वारा एक ई-मेल भेजा गया था कि अपीलार्थी "एफएक्स-991 ईएस प्लस"/"991 ईएस" या किसी अन्य समान चिह्न के साथ-साथ आक्षेपित डिजाइन या किसी अन्य समान डिजाइन का उपयोग करना बंद कर देगा और बंद कर देगा।इसके अलावा, यह इस प्रकार कहा गया थाः“अनुमोदित और पहले से ही हलफनामे में विस्तृत (डब्ल्यू. ई. एफ. 30.11.2018) उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।” मध्यस्थता के लिए मसौदा शर्तों को प्रतिवादी के वकील द्वारा तैयार किया गया था और 04.03.2019 पर अपीलार्थी के वकील को सूचित किया गया था।इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

ग

डी.

“ए। तृतीय पक्ष स्वीकार करता है कि प्रथम पक्ष के पास अपने वैज्ञानिक कैलकुलेटर CASIO FX-991ES प्लस और ट्रेडमार्क FX-991ES प्लस/FX-991ES के डिजाइन पर विशेष अधिकार हैं। तीसरा पक्ष आगे कभी भी एन. ओ. एस. वाले प्रथम पक्ष के पंजीकृत डिजाइनों के समान किसी भी तरह से विवादित डिजाइन या किसी अन्य डिजाइन को अपनाने और/या निर्माण और/या बिक्री और/या बिक्री की पेशकश और/या विज्ञापन/प्रचार या उपयोग करने का वचन नहीं देता है। 214283 और 214282, वर्ग 18-01 में दिनांक 16/01/2008।तृतीय पक्ष आगे कभी भी किसी भी तरह से किसी भी वस्तु या सेवा को अपनाने और/या विज्ञापन/प्रचार या उपयोग करने का वचन नहीं देता है, जिसमें प्रथम पक्ष का एफएक्स-991 ईएस प्लस/एफएक्स-991 ईएस या कोई भ्रामक या भ्रमित करने वाला समान चिह्न शामिल है।;

ई.

च

जी.

b. XXXXXX

ग. तीसरा पक्ष यह वचन देता है कि उसने पहले ही विवादित डिजाइन और एफएक्स-991 ईएस प्लस/एफएक्स-991 ईएस चिह्नों का उपयोग बंद कर दिया है और भविष्य में भी किसी भी उपयोग से परहेज करता है।

एच.

घ. तीसरा पक्ष कभी भी प्रथम पक्ष के वैज्ञानिक कैलकुलेटर एफएक्स-991 ईएस प्लस की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक का उपयोग नहीं करने का वचन देता है, जो इसके साथ अनुलग्नक ए या किसी अन्य भ्रामक और भ्रमित करने वाली समान पैकेजिंग के रूप में संलग्न है, जो अपने वैज्ञानिक कैलकुलेटर एफएक्स-991 ईएस प्लस के लिए प्रथम पक्ष की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक के समान और/या भ्रामक रूप से और भ्रमित रूप से समान है।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को 07.03.2019 पर एक संशोधित निपटान समझौते के बारे में सूचित किया गया था जिसमें इसका उल्लेख निम्नानुसार किया गया थाः

“ए। तीसरा पक्ष कभी भी विवादित डिजाइन को अपनाने और/या निर्माण और/या बेचने और/या बिक्री की पेशकश और/या विज्ञापन/प्रचार या किसी भी तरह से उपयोग करने का वचन नहीं देता है, जिसका अर्थ है और जिसमें सूट में चुनौती की विषय वस्तु सी. एस. (सी. ओ. एम. एम.) शामिल होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का सं. 1254 या एन. ओ. एस. वाले प्रथम पक्ष के पंजीकृत अभिकल्पना के समान कोई अन्य अभिकल्पना। वर्ग 18-01 में दिनांक 16/01/2008 214283 और 214282।तृतीय पक्ष आगे कभी भी किसी भी तरह से किसी भी वस्तु या सेवा को अपनाने और/या विज्ञापन/प्रचार या उपयोग करने का वचन नहीं देता है, जिसमें प्रथम पक्ष के एफएक्स-991 ईएस प्लस/एफएक्स-991 ईएस अंक शामिल हैं, उनकी पूरी तरह से या अंक 991 में।

ग

डी.

ई.

b. XXXXXX

ग. तीसरा पक्ष दोहराता है कि 30.11.2018 के बाद से और उसके बाद से उसने न तो विवादित डिजाइन वाले किसी भी कैलकुलेटर का निर्माण किया है और न ही विपणन किया है और न ही भेजा है और उसने पहले ही विवादित डिजाइन और FX-991ES प्लस/FX-991ES चिह्नों का उपयोग बंद कर दिया है और भविष्य में भी किसी भी उपयोग से परहेज करेगा।;

च

घ. तीसरा पक्ष कभी भी प्रथम पक्ष के वैज्ञानिक कैलकुलेटर एफएक्स-991 ईएस प्लस की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक का उपयोग नहीं करने का वचन देता है, जो इसके साथ अनुलग्नक ए या किसी अन्य पैकेजिंग के रूप में संलग्न है, जो समान और/या भ्रामक रूप से प्रथम पक्ष की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक के समान है जैसा कि उपरोक्त अनुलग्नक ए में वर्णित है।; ”

जी.

एच.

क.

8. प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता द्वारा 27.03.2019 पर भेजी गई मध्यस्थता शर्तों के जवाब में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने दिनांकित 10.04.2019 ई-मेल में मध्यस्थता शर्तों में कुछ बदलाव का सुझाव दिया।जिन प्रासंगिक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, वे ट्रैक मोड में किए गए थे और निम्नानुसार हैं:

"ए। तीसरा पक्ष कभी भी एफएक्स-991 ईएस प्लस के प्रथम पक्ष के डिजाइन पंजीकरण संख्या/व्यापार पोशाक के समान किसी भी तरह से विवादित डिजाइन को अपनाने और/या निर्माण और/या बिक्री और/या बिक्री की पेशकश और/या विज्ञापन/प्रचार या उपयोग करने का वचन नहीं देता है। वर्ग 18-01 में दिनांक 16/01/2008 214283 और 214282।तृतीय पक्ष आगे कभी भी किसी भी वस्तु या सेवा को अपनाने और/या निर्माण और/या बेचने और/या बिक्री की पेशकश करने और/या किसी भी तरह से विज्ञापन/प्रचार या उपयोग करने का वचन नहीं देता है, जिसमें प्रथम पक्ष के एफएक्स-991 ईएस प्लस के एनओएस वाले डिजाइन शामिल हैं। 214283 और 214282 दिनांकित 16/01/2008 वर्ग 18-01 व्यापार चिह्न FX-991ES प्लस/FX-991ES में उनकी संपूर्णता में और/या शब्द FX और/या अंक 991।

ग

डी.

बी। तृतीय पक्ष किसी भी तरह से या तो स्वयं या किसी अन्य पक्ष के साथ या ऐसी किसी भी कार्रवाई में किसी भी पक्ष का समर्थन करते हुए, डिजाइन पंजीकरण संख्या में प्रथम पक्ष के अधिकारों को कभी भी चुनौती देने या कोई बाधा पैदा करने के लिए सहमत नहीं है।214283 और उनके पंजीकरण की अवधि के दौरान इसके वैज्ञानिक गणक के लिए वर्ग 18-01 में 16/01/2008 दिनांकित 214282।

ई.

ग. तीसरा पक्ष दोहराता है कि श्री नेविल पी. पटेल के 7 दिसंबर, 2018 के शपथ पत्र में किए गए 30.11.2018 के बाद से और उसके बाद से, उसने न तो विवादित डिजाइन और FX-991ES प्लस/FX-991ES के निशान वाले किसी भी कैलकुलेटर का निर्माण किया है और न ही चिह्नित किया है और न ही भेजा है कि उसने पहले ही प्रथम पक्ष के FX-991ES प्लस के पंजीकृत डिजाइनों का उपयोग बंद कर दिया है। 214283 और 214282 दिनांक 18-01 वर्ग 18-01 में और भविष्य में भी किसी भी उपयोग से बचना होगा।;

च

जी.

घ. तीसरा पक्ष कभी भी प्रथम पक्ष के वैज्ञानिक कैलकुलेटर एफएक्स-991 ईएस प्लस फर्स्ट पार्टी के एफएक्स-991 ईएस प्लस के पंजीकृत डिजाइनों की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक का उपयोग नहीं करने का वचन देता है। वर्ग में दिनांक 16/01/2008 214283 और 214282

एच.

18-01, इसके साथ अनुलग्नक ए या किसी अन्य पैकेजिंग के रूप में संलग्न किया गया है, जो उपरोक्त अनुलग्नक ए में वर्णित प्रथम पक्ष की पैकेजिंग/व्यापार पोशाक के समान और/या भ्रामक और भ्रमित रूप से समान है।'

ई. तीसरे पक्ष ने पहले से ही विवादित डिजाइन वाले सभी उत्पादों और/या किसी भी विपणन, प्रचार और विज्ञापन सामग्री को वापस बुला लिया है, जिसमें विवादित डिजाइन या कोई अन्य वस्तु/सामान/उत्पाद शामिल हैं, जिनका निर्माण या प्रचार किया गया है, जिसमें ऑनलाइन खुदरा/ई-कॉमर्स वेबसाइट शामिल हैं, लेकिन ऑनलाइन खुदरा/ई-कॉमर्स वेबसाइटों तक सीमित नहीं हैं।;

ग

च. उपरोक्त वापस बुलाए जाने को ध्यान में रखते हुए, तीसरा पक्ष यह वचन देता है कि वह पहले ही अपने सभी वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को ई-मेल/नोटिस भेज चुका है, जिनका बाजार से विवादित उत्पादों को वापस बुलाने के लिए तीसरे पक्ष के साथ सीधा व्यावसायिक संबंध है।तीसरे पक्ष द्वारा भेजे गए ऐसे ई-मेलों/नोटिसों की प्रतियां सामूहिक रूप से अनुलग्नक बी [कोली] के रूप में संलग्न की गई हैं।हालांकि, तीसरा पक्ष खुले बाजार में विवादित डिजाइन वाले बिना बेचे गए उत्पादों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है और इसलिए विवादित डिजाइन वाले ऐसे उत्पादों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

डी.

ई.

छ. तृतीय पक्ष वचन देता है कि 07 दिसंबर, 2018 के अपने शपथ पत्र में उल्लिखित स्टॉक की मात्रा सही और सही है और तृतीय पक्ष ने 30 नवंबर, 2018 से विवादित उत्पादों का निर्माण और/या वितरण नहीं किया है।तीसरे पक्ष ने आगे कहा कि जैसा कि 7 दिसंबर, 2018 के हलफनामे में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों ने विवादित डिजाइन वाले शेष 2560 उत्पादों के बाहरी हिस्से को हटा दिया है और उक्त टुकड़ों को नष्ट कर दिया है, जो इसके कारखाने में पड़े थे।

च

ज. तीसरा पक्ष यह वचन देता है कि विवादित डिजाइन और/या किसी अन्य डिजाइन के लिए कोई लंबित डिजाइन आवेदन या पंजीकरण नहीं है जो प्रथम पक्ष के पंजीकृत डिजाइन संख्या 214283 और 214282 के समान या स्पष्ट अनुकरण है।

जी.

आई. तीसरा पक्ष यह मानता है कि एफएक्स-991 ईएस प्लस/ए अंकों के लिए कोई ट्रेडमार्क आवेदन या पंजीकरण लंबित नहीं है।

एच.

319

अजंता एलएलपी बनाम कैसिओ कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसिओ कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड। ए.

एफएक्स-99 ईएस और/या कोई अन्य चिह्न जिसमें एफएक्स और/या अंक 991 शब्द शामिल हो।

9. इसके बाद, उत्तरदाता की ओर से निपटान समझौते का एक अंतिम मसौदा अपीलार्थी के वकील को सूचित किया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अपीलार्थी किसी भी तरह से किसी भी सामान को अपनाने/निर्माण/बिक्री/प्रस्ताव/विज्ञापन/प्रचार/उपयोग करने का वचन नहीं देता है, जिसमें उत्तरदाता की श्रेणी <ID3 में संख्या 214283 और 214282 दिनांक 16.01.2008 और/या व्यापार चिह्न 'FX-991ES +'/'FX'/'991' और/या इसकी पैकेजिंग या कोई अन्य समान, भ्रामक और/या भ्रमित रूप से उत्तरदाता की समान पैकेजिंग शामिल है।जवाब में, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक ई-मेल भेजा गया था जिसमें मध्यस्थता की शर्तों को उसी शर्तों के साथ जोड़ा गया था जैसा कि प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता द्वारा अपने दिनांकित ई-मेल 14.05.2019 में प्रस्तावित किया गया था।अंत में, 16.05.2019 पर पक्षों के बीच निपटान समझौते को निष्पादित किया गया।

ग

डी.

10. हालाँकि, पत्राचार के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन थे, लेकिन प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता द्वारा 14.05.2019 पर संप्रेषित निपटान समझौते की प्रस्तावित शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जो अंततः पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम निपटान समझौता था।

ई.

11. बनवारी लाल बनाम चंदो देवी (श्रीमती) (एल. आर. के माध्यम से) और

एन. आर. 5 यह न्यायालय उस समझौते से संबंधित था जिसके आधार पर अपीलार्थी ने विवादित भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी को सौंप दिया था।बाद में, अभिलेखों के सत्यापन और निरीक्षण पर, अपीलार्थी ने महसूस किया कि उसके वकील ने मुकदमे में प्रतिवादियों के साथ सांठगांठ की थी और समझौते की मनगढ़ंत याचिका दायर करके उसके साथ धोखाधड़ी की थी।ट्रायल कोर्ट ने आदेश को इस आधार पर याद किया कि समझौता याचिका पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जैसा कि सी. पी. सी. के आदेश 23 के नियम 3 के प्रावधान द्वारा आवश्यक था। प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश 23 के नियम 3 के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आवेदन को सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत लेबल किया जा सकता है। फैसले में यह देखा गया कि समझौते की अवैधता और वैधता की जांच सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत की जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने एक फैसले पर भरोसा किया

च

जी.

5 (1993) 1 एस. सी. सी. 581

एच.

320 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

समर्थन में प्रिवी काउंसिल के सौरेन्द्र नाथ मित्रा और अन्य (ऊपर)

उनका यह निवेदन कि न्यायालयों के पास एक अंतर्निहित शक्ति है कि वे अपनी कार्यवाही का उपयोग आगे पर्याप्त अन्याय के लिए नहीं करने दें।इस न्यायालय द्वारा बनवारी लाल (उपरोक्त) मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी ने अपने आवेदन को सी. पी. सी. के आदेश 23 के नियम 3 के तहत एक मानते हुए डिक्री में संशोधन/परिवर्तन का मामला बनाया है। पक्षों के बीच हुए समझौते से संबंधित विवाद को हल करने के लिए, यह

शंकर सीताराम सोनटक्के और अन्न (ऊपर) मामले में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"यदि समझौता पक्षों द्वारा उचित विचार के बाद किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा की गई धोखाधड़ी, गलत निरूपण, गलती या गलतफहमी से दूषित नहीं किया गया था-वह निष्कर्ष जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था-तो यह इस प्रकार है कि वह मामला जो एक बार दोनों पक्षों के बीच समाप्त हो गया था, जो एक दूसरे के साथ लंबे समय तक काम कर रहे थे, अब फिर से नहीं खोला जा सकता है।"

ग

डी.

12. सहमति से दिए गए निर्णय का उद्देश्य पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को उतना ही रोकना है जितना कि एक लंबी लड़ाई के अंत में न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप दिया गया निर्णय।एक समझौता डिक्री निर्णय 6 द्वारा एक अवरोध पैदा करती है।यह ध्यान देने योग्य है कि बायराम पेस्टन गरीवाला (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने समझौते की वैधता या वास्तविकता के बारे में कोई संदेह नहीं उठाया और न ही उसके द्वारा यह दिखाने के लिए कोई मामला बनाया गया था कि डिक्री धोखाधड़ी या गलत निरूपण से दूषित थी।ऐसा कहते हुए, इस अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।13. एक सहमति डिक्री एक अवरोध के रूप में काम नहीं करेगी, जहां समझौता धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलती से दूषित हो गया था।न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सहमति आदेश में सुधार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लिपिक या अंकगणितीय त्रुटियों से मुक्त है ताकि इसे समझौते की शर्तों के अनुरूप लाया जा सके।निस्संदेह,

न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत सहमति डिक्री के परिवर्तन/संशोधन के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलतफहमी से दूषित है।पक्षकारों के बीच अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अनुमानित गलतफहमी निपटान समझौते में अलग-अलग चिह्नों के रूप में "एफएक्स" या "991" के उपयोग से संबंधित है।दोनों पक्षों के बीच समझ समग्र रूप से "एफएक्स-991 ईएस प्लस" के संबंध में थी न कि "एफएक्स" के संदर्भ में।एक निकटता

ई.

च

जी.

6 (1992) 1 एस. सी. सी. 31-बायराम पेस्टन गरीवाला बनाम भारत संघ ए.

एच.

321

अजंता एलएलपी बनाम कैसियो कीसांकी कबुशिकी कैशा डी/बी/ए कैसियो कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पक्षों के बीच पत्राचार की जांच से पता चलेगा कि निपटान समझौता विस्तृत परामर्श और विचार-विमर्श के बाद किया गया था। इसके बाद, दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें एक समझौते पर पहुंचने में छह महीने का समय लगा। अंतिम निपटान समझौते को मध्यस्थ द्वारा अनुमोदित किया गया था।उच्च न्यायालय ने अपने दिमाग को लागू किया और दिनांक 16.05.2019 के निपटान समझौते के संदर्भ में एक डिक्री पारित की।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि यह सी. पी. सी. की धारा 152 के तहत दायर किया गया था, हमने इस बात की जांच करने के लिए पक्षों की दलीलों पर विचार किया है कि क्या अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 के परंतुक के तहत आवेदन को एक मानते हुए डिक्री में संशोधन के लिए मामला बनाया है। प्रत्यर्थी की ओर से धोखाधड़ी या गलत निरूपण का कोई आरोप नहीं है।हम अपीलार्थी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि गलतफहमी के कारण समझौता करते समय गलती हुई थी।कानून के विशेषज्ञ पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच पत्राचार से पता चलेगा कि कोई अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी नहीं है जो किसी भी गलतफहमी को जन्म देती है।यह मानते हुए भी कि कोई गलती है, एक सहमति डिक्री को संशोधित/बदला नहीं जा सकता है जब तक कि गलती एक पेटेंट या स्पष्ट गलती न हो।अन्यथा, सहमति डिक्री के किसी पक्ष द्वारा गलती/गलतफहमी के आधार पर प्रत्येक सहमति डिक्री को बदलने की मांग की जाने का खतरा है।

ग

डी.

ई.

14. पूर्वगामी कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं और अपील को खारिज करते हैं।

अंकित ज्ञान और अमरेंद्र कुमार

याचिका खारिज की जाती है।

(सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)

च

जी.

एच.